न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

रेफरेन्स / 09 / 2010

रामलाल पुत्र श्री कन्हैया जाति अहीर निवासी नगला मांझी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

.....प्रार्थी .....मृतक

1 / 1–सरवती उम्र 76 साल पत्नी स्व0 रामलाल
1 / 2–बृजेन्द्रसहि उम्र 46 साल पुत्र स्व0 रामलाल
1 / 3–रामकिशन उम्र 39 साल पुत्र स्व0 रामलाल
1 / 4–सतीश उम्र 36 साल पुत्र स्व0 रामलाल
} जाति अहीर निवासीयान नगला मांझी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

1 / 5–रजनी उम्र 43 साल पुत्री स्व0 रामलाल पत्नी होतीलाल जाति अहीर निवासी धोली प्याऊ पुरानी चुंगी के सामने मथुरा जिला मथुरा

.....प्रार्थीयान

बनाम

1–नारायण पुत्र श्री रामसिंह जाति अहीर निवासीयान नगला मांझी तहसील कुम्हेर ....मृतक
1 / 1– पवन यादव पुत्र नारायण जाति अहीर निवासीयान नगला मांझी तहसील कुम्हेर
1 / 2– श्रीमती शीतल यादव पुत्री श्री नारायन पुत्रवधु मुसद्दीलाल यादव निवासी हनुमान मन्दिर वाली गली तिजारा फाटक अलवर जिला अलवर
2–धनीराम पुत्र श्री कन्हैया जाति अहीर निवासीयान नगला मांझी तहसील कुम्हेर ..... असल गैर प्रार्थीयान
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर .....तरतीवी गैरप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रेफरेन्स अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम धारा 82 एल.आर. एक्ट

उपस्थित :–

1–श्री हनुमान प्रसाद गोयल अभिभाषक प्रार्थी
2–श्री नीरपाल अभिभाषक अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेफरेन्स संख्या 9/12
रामलाल बनाम नारायण

निर्णय

दिनांक 13.06.2019

प्रार्थी ने यह रेफरेन्स इस आश्य का पेश किया है कि रामसिंह व कन्हैया खास भाई थे। जो गोकुल के पुत्रगण थे। गोकुल का भाई बड्डन पुत्र श्री तुला था। बड्डन के कोई पुत्र नहीं था। इसलिए बड्डन ने अपने भाई गोकुल के पुत्र रामसिंह गोद दिनांक 11.2.1955 ले लिया। प्रार्थी का कन्हैया का पुत्र है। आराजी खसरा नम्बरान साविक 214 रकवा बांके ग्राम नगला मांझी तहसील कुम्हेर जिसके हाल खसरा नं0 461,464 वाहिद व 452 में कुछ हिस्सा बांक ग्राम नगला मांझी तहसील कुम्हेर शामिलात देह का रकवा था। रामसिंह ने एक दावा सहायक कलक्टर कार्यपाल मजिस्ट्रेट भरतपुर की अदालत में अपने आप को 1/4 हिस्से का ,कन्हैया को 1/4 हिस्से का , बड्डन को 1/4 हिस्सा तथा प्रार्थी को 1/4 हिस्सा मानकर आराजी खसरा नं0 साविक 214 एवं अन्य आराजी बांके ग्राम नगला मांझी तहसील कुम्हेर सहित धारा 88,89,188 राज0टी0एक्ट का दावा किया। दावा में रामसिंह ने अपने आपको आराजीयात में 1/2 भाग का खातेदार बताया और कन्हैया का 1/4 हिस्से की खातेदारी दने बावत था। प्रार्थी और बड्डन के हिस्से पर रामसिंह ने कोई क्लेम खातेदार नहीं किया । इस प्रकार प्रार्थी अपने 1/4 हिस्से का खातेदार रहा। न्यायालय सहायक कलक्टर कम कार्यपालक मजिस्ट्रेट भरतपुर ने दिनांक 9.9.1965 को जो रामसिंह का दावा डिग्री किया उसमें न तो प्लीडिंग को देखा और न रिकार्ड का अवलोकन किया दावा के दौरान प्रार्थी ने कोई भी इकबाल दावा रामसिंह के हक में उक्त आराजी में 1/4 भाग बावत नहीं दिया और न्यायालय को केवल रामसिंह एवं कन्हैया के हिस्से पर ही दावा डिग्री करना चाहिये था। यह डिग्री दिनांक 9.9.65 को हुई उसमें भी रामसिंह को कन्हैया के 1/4 हिस्से पर ही खातेदारी दी गई। प्रार्थी और बड्डन के 1/4 1/4 हिस्से की कोई डिग्री नहीं दी और प्रार्थी एवं बड्डन ही खातेदार रहे। जो डिग्री 9.9.65 को हुई थी उसकी इजराय का इन्द्राज जमाबंदी सम्वत् 2021 लगायत 2024 के खाना नं0 24 में किया गया था। उसमें फैसले के मुताविक रामसिंह की खातेदारी प्रार्थी एवं बड्डन के हिस्से पर कर दी गई याानि सम्पूर्ण आराजी का रामसिंह को खातेदार दर्ज कर दिया गया। जमाबंदी सम्वत् 2021 लगायत 2024 के

बाद जो जमाबंदी सम्वत् 2025 लगायत 2028 की बनी उसमें गलत तौर पर इन्द्राज रामसिंह के नाम ही रिपीट कर दिये गये। साविक आराजी खसरा नं0 214 रकवा 10 बीघा 2 बिस्वा बांके ग्राम नगला मांझी जो शामिलात देह का था जिसके हाल खसरा नम्बरान 461,464 वाहिद व 452 रकवा 70 ऐयर का बना उसमें कूल हिस्सा खसरा नम्बर साविक 214 का माना गया। वर्तमान में आराजी खसरा नं0 461,464 गैर प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में है। तथा आराजी खसरा नम्बर साविक 452 गैर प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में है। आराजी खसरा नम्बर साविक 214 रकवा 10 बीघा 2 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में शामलात देह का था और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अमल में 1955 में आने पर शामलात देह के रकवा पर कोई भी खातेदारी रामसिंह को नहीं दी जा सकती थी। यदि दी भी गई तो प्रार्थी भी 1/4 भाग का खातेदार होता है। रामसिंह ने इस इन्द्राज का फायदा उठाकर अपने पुत्र गैरप्रार्थी संख्या 1 से एक दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर में दायर कराया और उसमें स्वयं ने खातेदारी गैरसयाल नं01 के हक में देने बावत इकबाल दावा दिया परन्तु गैर प्रार्थी संख्या 1 का दावा दिनांक 18.12.1972 को न्यायालय ने खारिज कर दिया। इस प्रकार गैरसायल संख्या 1 का कोई खातेदारी गैरसायल संख्या 2 को साविक आराजी खसरा नम्बर 214 रकवा 10 बीघा 2 बिस्वा वाके नगला मांझी पर नहीं मिली। प्रार्थी की जानकारी के अनुसार दावा जो नारायनसिंह गैर प्रार्थी संख्या 1 का दिनांक 18.12.1972 को खारिज अदम हाजिरी में हुआ था उसको कभी भी नम्बर पर नहीं लिया गया इस प्रकार दावा के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई इजराय नहीं होसकतीथी और न रामसिंह के बजाय गैरप्रार्थी संख्या 1 को आराजी का खातेदार ही दर्ज किया जा सकता था। गैरप्रार्थी संख्या 1 नारायनसिंह ने चालाकी से बिना कोई उसका दावा डिग्री हुये एस.डी.ओ. भरतपुर से डिग्री हुये उस समय के एस.डी.ओ भरतपुर के कर्मचारियों से मिलकर इजराय में कैफियत क्रमांक 214 दिनांक 11.4.1975 नायब तहसीलदार कुम्हेर के कार्यालय आराजी खसरा नं0 214 साविक रकवा 10 बीघा 2 बिस्वा वाके नगला मांझी पर खातेदारी दर्ज करने बावत भिजवाई। नायब तहसीलदार कुम्हेर ने अपने कार्यालय से एक कैफियत गैरप्रार्थी संख्या 1 के हक में दाखिल खारिज खातेदारी बावत दर्ज करने हेतू ग्राम पंचायत डहरा को भिजवाई। ग्राम पंचायत डहरा के पंच अमरसिंह ने फोर कर सरपंच की मौहर पर

दस्तखत कर दाखिल खारिज संख्या 97 दिनांक 29.9.75 को दर्ज कर दिया। यह दाखिल खारिज खिलाफ कानून व रेफरेन्स के माध्यम से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायतों को डिग्री के आधार पर इजराय में दर्ज होने वाले दाखिल खारिजो मंजूर करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कार्य केवल न्यायालय का होता है जिसमें तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार ही शामिल है। भू प्रबन्ध विभाग वालों ने साविक आराजी खसरा नंम्बर 214 रकवा 10 बीघा 2 बिस्वा वाके नगला मांझी जिसके हाल खसरा नम्बरान 461रकवा 1 ऐयर, 464 रकवा 1.42 हेक्टर कुल 1.43 हेक्टर के बनाये और इस प्रकार 8 बीघा 19 बिस्वा रकवा के नम्बर रहे शेष रकवा जो 1 बीघा 3 बिस्वा बचा को गैरसयाल संख्या 2 के आराजी खसरा नं0 452 में शामिल कर दिया। सेटिलमेन्ट विभाग वालो को भी गैरसयाल संख्या 1 व 2 को खातेदारी देने का कोई अधिकार नहीं है। दाखिल खारिज संख्या 97 दिनांक 19.9.1975 को जो एस.डी.ओ की तथाकथित डिग्री के आधार पर गैरप्रार्थी संख्या 1 को खातेदारी ग्राम पंचायत डहरा द्वारा दी है वह अवैध शून्य एवं क्षेत्राधिकार से बाहर है। क्योंकि एस.डी.ओ भरतपुर ने कोई गैरप्रार्थी संख्या 1 का दावा डिग्री नहीं किया था और न बिना दावा की डिग्री हुये इजराय की कार्यवाही करने का अधिकार था। यह समस्त कार्यवाही एस.डी.ओ भरतपुर के न्यायालय के उस समय के कर्मचारियों से मिलकर फर्जी की है। इसके अलावा जो नायब तहसीलदार ने एस.डी. ओ की कैफियत का आधार बनाकर ग्राम पंचायत डहरा को दाखिल खारिज करने हेतु कैफियत जारी की वह भी अवैध, शून्य एवं क्षेत्राधिकार से बाहर है। रामसिंह के हक में जो सहायक कलक्टर कम कार्यपालक मजिस्ट्रेट भरतपुर के द्वारा दिनांक 9.9.1965 को शामलात देह की खातेदारी आराजी खसरा नं0 214 रकवा 10 बीघा 2 बिस्वा पर रामसिंह को खातेदारी दी गई है उसकी प्रार्थी ने अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां कर रखी है। प्रार्थी ने अनेको बार तहसीलदार कुम्हेर से दाखिल खारिज संख्या 97 ग्राम पंचायत डहरा दिनांक 29.9.1975 को केन्सिल करने बावत रेफरेन्स न्यायालय हाजा को भेजने बावत कहां तो वह पहिले आजकल करते रहे और अंत में दिनांक 18.8. 2010 को रेफरेन्स करने से साफ इंकार कर दिया। प्रार्थी अपने स्तर पर कागजात लेता रहा और पूर्व में तहसीलदार कुम्हेर से रेफरेन्स करने हेतु निवेदन करता रहा और कागजात दिखाता रहा है। प्रार्थी भी आराजी खसरा नम्बर साविक 214 रकवा 10 बीघा 2 बिस्वा वाके नगला मांझी शामलात देह का था उसमें 1/4 हिस्से का हितधारी था। इस

कारण तहसीलदार कुम्हेर को गैर प्रार्थी बनाकर यह रेफरेन्स का प्रार्थनापत्र बिना किसी देरी के पेश किया है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित । उभयपक्ष योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि गत आराजी खसरा नं0 214 रकवा 10 बीघा 2 बिस्वा बांके ग्राम नगला मांझी में स्थित है। यह आराजी कन्हैया पुत्र गोकुल के नाम हो रही 1/4 की हिस्से की आराजी की खातेदारी चाही थी तथा शेष 1/4 भाग खुद काश्त बदस्तूर माना था। तथा 1/4 भाग बडडन का माना था। तथा 1/4 हिस्सा रामलाल का माना था। दावा में बडडन एवं प्रार्थी रामलाल के हिस्से की कोई डिग्री नहीं चाही थी। न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम भरतपुर रामसिंह को 1/2 हिस्से का आराजी में खातेदार घोषित कर दिया। परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2024 लगायत 2028 में रामसिंह समस्त आराजी का बिना डिग्री के ही ग्राम पंचायत द्वारा खातेदार दर्ज कर दिया गया । रामसिंह ने दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज0टी0एक्ट का अपने पुत्र नारायन से आराजी खसरानम्बरान साविक 214 रकवा 10 बीघा 2 हाल खसरा नम्बरान 461,464 वाहिद एवं 452 में कुछ हिस्सा शामलात देह का वाके ग्राम मांझी की बावत अपने विरूद्व दायर कराया। यह दावा नारायन का दिनांक 18.12.1972 को अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसको नारायनसिंह ने कभी नम्बर पर नहीं लिया। परन्तु नारायण एक कैफियत एस.डी.ओ. भरतपुर से नायब तहसीलदार कुम्हेर के नाम दावा खारिज होने के बाबजूद इन्द्राज करवाने की जारी करवाई। परन्तु इन्द्राज कैफियत नायब तहसीलदार कुम्हेर को न देकर सरपंच ग्राम पंचायत डहरा को दे दी। जबकि फैसले के अन्तर्गत हो रहे डिग्री का नामान्तरण दर्ज केवल न्यायालय को होता है। परन्तु ग्राम पंचायत डहरा के सरपंच ने विधि विरूद्व दाखिल खारिज संख्या 97 नारायण के नाम दर्ज कर दिया। रेफरेन्स के संबध में आरटीएक्ट 2012 (2) पेज नं0 1313 पेश है। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने माना है कि खातेदारी अधिकार के बिना दाखिला खारिज नहीं खोल सकते। दाखिला खारिज प्रारम्भ से ही शून्य अप्रभावी है। दाखिल खारिज 97 है जो इसे ग्राम पंचायत ने तस्दीक किया है। गैर प्रार्थी का तर्क है कि डिग्री दिनांक 09.09.65 को पारित हुई है।

सम्बत् 2024 की जमाबन्दी में रामसिंह ने अपना नाम दर्ज कराया है। और उस इन्द्राज के आधार पर रामसिंह ने अपने पुत्र नारायण सिंह से दावा कराया जो अदम पैरवी में दिनांक 18.12.1972 को खारिज हुआ। दिनांक 9.9.65 की डिग्री का रेफरेन्स 232 आरटीएक्ट में होता बल्कि दाखिला खारिज संख्या 97 फोड से बिना किसी डिग्री के दर्ज हुआ है। प्रार्थी अभिभाषक ने जाहिर किया है कि रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को भिजवाया जावे।

अप्रार्थी अभिभाषक ने बहस में जाहिर किया है कि न्यायालय हाजा धारा 82 एल.आर.एक्ट में रेफरेन्स पेश किया है। प्रार्थियान को कोई भी हित आराजी साविक व हाल में न होने प्रार्थनापत्र रेफरेन्स पेश करने का कोई अधिकार नहीं हैं । जमाबन्दी सम्वत 2021 लगाय 2024 अप्रार्थी उत्तरदाता गण हाल नम्बरान 214 रकवा 10 बीघा 2 बिस्वा बांके ग्राम नगला मांझी में स्थित है हाल खसरा नम्बर 461,464 वाहिद 452 में कुछ हिस्सा बाके ग्राम नगला मांझी शामिलात देह का रकवा था तथा खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थीयान का कोई व्यक्तिगत हित आराजी में नियत नहीं है। इस प्रकार रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र अधिक समय 40–45 वर्ष बाद प्रस्ततु किया है। रेफरेन्स मियाद बाहर है। दिनांक 9.9.65 के आदेश की सहमति से डिग्री बनी है। प्रार्थीयान को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। रेफरेन्स सरकार प्रस्तुत कर सकती है। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति रेफरेन्स प्रस्तुत नहीं कर सकता। रेफरेन्स खारिज किया जाने की अपील की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्षकारान अभिभाषक के तर्कों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रस्तुत रेफरेन्स दर्ज आदेश प्रार्थी द्वारा लगभग 40–45 साल बाद पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा देरी से पेश करने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया। है। इतनी लम्बी अवधि के बाद प्रार्थी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स के द्वारा किसी की खातेदारी को निरस्त नहीं किया जा सकता। दौराने बहस यह भी बताया गया कि विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य सक्षम राजस्व न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, जहॉ पक्षकारान के विवादित आराजी बाबत हक हकूक तैय होने हैं। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.6.2019 को सुनाया गया।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official